निबंधन संख्या पी0टी0-40

# बिहार गजट
## असाधारण अंक
## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

**11 आषाढ़ 1942 (श0)**
**(सं0 पटना 410) पटना, बृहस्पतिवार, 2 जुलाई 2020**

विधि विभाग

**अधिसूचना**

2 जुलाई 2020

**सं० एल0जी0–01–10/2020/4034/लेज—**भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन बिहार राज्यपाल **दिनांक 2 जुलाई, 2020** को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
**बलराम मंडल,**
सरकार के अवर सचिव ।

**(बिहार अध्यादेश संख्या-07, 2020)**

**औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 2020**

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को संशोधित करने हेतु अध्यादेश)

**प्रस्तावना** :– चूँकि वर्तमान में कोविड–19 वायरस महामारी के प्रकोप ने बिहार राज्य में औद्योगिक क्रियाकलापों एवं आर्थिक गतिविधियों की गति को कम किया है एवं औद्योगिक क्रियाकलापों तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देने हेतु प्रदेश में नये औद्योगिक निवेश के अवसर पैदा करने की आवश्यकता है;

और, चूँकि बिहार राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है,

और, चूँकि बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है, जिनके कारण श्रम अधिनियमों में संशोधन करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

और, चूँकि राष्ट्रपति से इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है :

इसलिए, अब भारत–संविधान के अनुच्छेद–213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :–

| | | |
|---|---|---|
| | **अध्याय–1**<br>**प्रारंभिक** | |
| | 1. (1) इस अध्यादेश को औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा। | संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। |
| | (2) यह तुरंत प्रवृत होगा। | |
| (1947 का अधिनियम संख्यांक 14) | **अध्याय–2**<br>**औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन** | |
| | 2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, के धारा–25ट में शब्द ''एक सौ'' को शब्द ''तीन सौ'' से प्रतिस्थापित किया जाता है। | औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन |

**पटना** **फागू चौहान,**
**दिनांक 2 जुलाई 2020** **बिहार राज्यपाल।**

**भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मैने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।**

**पटना** **फागू चौहान,**
**दिनांक 2 जुलाई 2020** **बिहार राज्यपाल।**

---

**2 जुलाई 2020**

**सं० एल0जी0-01-10/2020/4035/लेज—**बिहार राज्यपाल द्वारा **dated- 2nd July, 2020** को प्रख्यापित **औद्योगिक विवाद (बिहार संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या-07, 2020)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

**[Bihar Ordinance No. 07, 2020]**

# THE INDUSTRIAL DISPUTES (BIHAR AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

## AN
## ORDINANCE

(An Ordinance further to amend the Industrial Disputes Act, 1947)

Whereas, the Covid-19 pandemic has deteriorated the Industrial and Economic activities in the State of Bihar and for providing impetus to the Industrial and Economic activities in the State, it is important to provide new opportunities for Industrial investment in the State;

Whereas, the Legislative Assembly and Council of the State is not in Session;

And whereas, the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

And whereas, the instruction from the President is received to promulgate this Ordinance:

Therefore, the Governor, in exercise of the powers conferred on him under article 213 of the Constitution hereby, promulgates this Ordinance in the Seventy-first year of the Republic of India as follows :-

| | | |
|---|---|---|
| | **CHAPTER I**<br>**PRELIMINARY** | |
| | 1. (1) This Ordinance may be called the Industrial Disputes (Bihar Amendment) Ordinance, 2020 | Short title and commencement. |
| | (2) It shall come into force at once. | |
| | **CHAPTER II**<br>**AMENDMENT OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT** | |
| 14 of 1947 | 4. In the Industrial Disputes Act, 1947, in section 25 K, for the words "one hundred", the words "three hundred" shall be substituted. | Amendment of the Industrial Disputes Act. |

**Patna**
**Dated 2nd July 2020**

***Phagu Chauhan,***
***Governor of Bihar.***

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल,
सरकार के अवर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 410-571+400-डी0टी0पी0।
**Website: http://egazette.bih.nic.in**